भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1954
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

न्यायालयों में ई-सेवा केन्द्र

1954. श्री अ.मनि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर के न्यायालयों में ई-सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे क्रियाशील ई-सेवा केन्द्रों की संख्या कितनी है ;

(ग) इन केन्द्रों द्वारा वादियों और अधिवक्ताओं को दी जाने वाली प्राथमिक सेवा क्या है ;

(घ) पिछले एक वर्ष में ई-सेवा केन्द्रों के माध्यम से तमिलनाडु सहित राज्य-वार कितने वादियों ने सेवाएं प्राप्त की हैं ;

(ङ) वादियों के लिए विलम्ब को कम करने तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने में ई-सेवा केन्द्रों का क्या प्रभाव है ; और

(च) क्या ई-सेवा केन्द्रों का प्रभावी उपयोग करने के लिए अधिवक्ताओं और वादियों जैसे हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तथा यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : जी, हां । ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन, भारत भर में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं । न्यायालय परिसरों में स्थित ये केंद्र अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सहायता प्रदान करने तथा डिजीटल विभाजन की खाई को कम करने के लिए स्थापित किए गए हैं । इन केंद्रों का उद्देश्य, न्यायालय मामलों/आदेशों/निर्णयों, के बारे में निःशुल्क सूचना प्रदान करने वाले वन-स्टाप केंद्र के रुप में कार्य करना न्यायालय संबंधी मामलों को सुकर बनाना और ई-फाइलिंग सेवाओं, विशिष्टतया जो दूरगामी क्षेत्रों में रहते हैं या जिनके पास प्रौद्योगिकी की सुगमता में कमी है, को फायदा पहुंचाना है ।

विधिक व्यवसायीयों तथा मुवक्किलों को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने की इस शुरुआत के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करते हुए, 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार राष्ट्र भर में जिला न्यायालयों में कुल 1394 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) तथा उच्च न्यायालय में 36 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) स्थापित किए जा चुके हैं । उच्च न्यायालय-वार, देशभर में परियोजना के अधीन उच्च न्यायालयों के साथ-साथ जिला न्यायालयों में स्थापित किए गए ई-सेवा केंद्रों के ब्यौरे **उपाबंध–1** पर रखे गए हैं ।

मुवक्किलों तथा अधिवक्ताओं के लिए ई-सेवा केंद्रों पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं :-

- केस की प्रास्थिति, सुनवाई की अगली तारीख तथा अन्य ब्यौरों के बारे में पूछताछ को संभालना ।
- प्रमाण पत्र प्रतियों के लिए ऑन लाइन आवेदनों तथा अन्य ऐसी फाइलिंग को सुकर बनाना ।
- याचिका की ई-फाइलिंग से लेकर याचिका की प्रति की स्कैनिंग, ई-हस्ताक्षर संलग्न करना, उन्हें सीआईएस (मामला सूचना प्रणाली) में अपलोड करना तथा फाइल सं. का सृजन करना, सुकर बनाना ।
- ई–स्टांप पेपर/ई-संदाय के ऑन लाइन क्रय में सहायता करना ।
- आधार आधारित डिजीटल हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन में सहायता करना ।
- एन्ड्रायेड और आईओएस के लिए ई-न्यायालय मोबाइल ऐप डाउनलोड करने में सहायता तथा का प्रचार करना ।
- कारावास में बंद संबंधियों से मिलने के लिए ई-मुलाकात नियत करने की बुकिंग को सुकर बनाना ।
- छुट्टी पर गए न्यायाधीशों के बारे में पूछताछ को संभालना ।
- विशिष्ट न्यायालय की अवस्थिति के बारे में, उसकी मामला सूची तथा क्या मामला सुनवाई के लिए रखा गया है या नहीं, की पूछताछ को संभालना ।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति से निःशुल्क विधिक सेवाएं कैसे प्राप्त की जाएं, के लिए मार्गदर्शन करना ।
- वर्चुअल न्यायालयों में यातायात चालान का निपटान, साथ ही यातायात चालानों और अन्य छोटे अपराधों के ऑन लाइन शमन को सुकर बनाना ।
- ई-न्यायालय परियोजना के अधीन सुविधाएं जो डिजीटली उपलब्ध हैं के संबंध में सहायता करना तथा सभी अन्य प्रश्नों के संबंध में सहायता करना ।

(घ) : ई-सेवा केंद्रों की कार्य पद्धति से संबंधित डाटा का अनुरक्षण संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है । तदनुसार, ई-न्यायालय परियोजना के चरण-2 के अधीन, उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय ने चार ई-सेवा केंद्र स्थापित किए हैं, अर्थात् विद्यमान अवसरंचना का उपयोग करते हुए तमिलनाडु राज्य में, एक मद्रास उच्च न्यायालय की प्रधान सीट पर, एक मदुरै न्यायपीठ पर, एक सेलम जिला में येरकोड ताल्लुक पर तथा अन्य कृष्णागिरी जिला में हैं ।

ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 के अधीन, उच्च न्यायालय मद्रास ने तमिलनाडु राज्य तथा पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में 250 न्यायालय परिसरों में 298 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए हैं । ये नए ई-सेवा केंद्र 05.08.2024 से परिचालित किए गए हैं ।

न्यायालय परिसरों में कार्यशील न्यायालयों की संख्या पर निर्भर करते हुए, तमिलनाडु के ई-सेवा केंद्रों में प्रतिदिन लगभग 20 से 30 प्रश्नों को संभाला जा रहा है ।

(ड.) : ई-सेवा केंद्र, फाइल करने के समय तथा अपेक्षित प्रयास को कम करने के द्वारा पेपर विहीन प्रक्रियाओं तथा दस्तावेजों की पुन:प्राप्ति और ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से मुवक्किलों को आसानी से उनके मामलों की प्रगति की मॉनीटरी के लिए समर्थ बनने का, संवर्द्धन करते हैं । इन केंद्रों पर उपबंधित मार्गदर्शन तथा सहायता, उन लोगों के लिए जो विधिक प्रणाली से अनभिज्ञ हैं के लिए जटिल विधिक कार्यवाहियों के सरलीकरण, को समर्थ बनाता है ।

(च) : जी, हां । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रत्येक राज्य में संबंधित उच्च न्यायालयों की राज्य न्यायिक अकादमी के साथ समन्वय में अधिवक्ताओं/अधिवक्ता लिपिकों के लिए कुल 112 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, ई-सेवा केंद्र के विषय भी हैं ।

****

<u>उपाबंध -1</u>

न्यायालयों में ई-सेवा केंद्रों से संबंधित 06 दिसंबर, 2024 को लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1954 के उत्तर में निर्दिष्ट कथन । परियोजना के अधीन देशभर में उच्च न्यायालयों के साथ साथ जिला न्यायालयों में स्थापित ई-सेवा केंद्रों का उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	क्या उच्च न्यायालयों में ई-सेवा केंद्र कार्यान्वित है	उच्च न्यायालयों में कार्यशील ई-सेवा केंद्र (क)	क्या ई-सेवा केंद्र जिला न्यायालयों में कार्यन्वित है ।	जिला न्यायालय में कार्यशील ई-सेवा केंद्र (ख)	कुल (क+ख)
1	इलाहाबाद	हां	2	हां	74	76
2	आंध्र प्रदेश	हां	0	नहीं	0	0
3	बोम्बे	हां	3	हां	43	46
4	कलकत्ता	हां	1	हां	8	9
5	छत्तीसगढ	हां	1	हां	23	24
6	दिल्ली	हां	1	हां	13	14
7	गुवाहाटी-अरुणाचल प्रदेश	हां	0	हां	24	24
8	गुवाहाटी - असम	हां	2	हां	78	80
9	गुवाहाटी - मिजोरम	हां	1	हां	8	9
10	गुवाहाटी - नागालैंड	हां	1	हां	11	12
11	गुजरात	हां	1	हां	148	149
12	हिमाचल प्रदेश	हां	1	हां	11	12
13	जम्मू - कश्मीर	हां	1	हां	9	10
14	झारखंड	हां	2	हां	24	26
15	कर्नाटक	हां	3	हां	26	29
16	केरल	हां	1	हां	161	162
17	मध्य प्रदेश	हां	3	हां	40	43
18	मद्रास	हां	1	हां	300	301
19	मणिपुर	हां	1	हां	15	16
20	मेघालय	हां	1	हां	15	16
21	उड़ीसा	हां	1	हां	126	127
22	पटना	हां	1	हां	37	38
23	पंजाब और हरियाणा	हां	1	हां	111	112
24	राजस्थान	हां	2	हां	1	3
25	सिक्किम	हां	1	हां	9	10
26	तेलंगाना	हां	1	हां	34	35
27	त्रिपुरा	हां	1	हां	15	16
28	उत्तराखंड	हां	1	हां	30	31
	कार्यान्वित	**28**	**36**	**27**	**1394**	**1430**
	कार्यान्वित नहीं किया गया	**0**		**1**		

****